

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 14/2016 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 22.06.2016

- 1 मलिखान सिंह पुत्र विन्द्रावन सिंह, उम्र 44 वर्ष।
- 2 कैलाश सिंह पुत्र विन्द्रावनसिंह, उम्र 39 वर्ष।  
समस्त जाति तोमर, निवासीगण ग्राम भोनपुरा,  
तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०  
.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

#### बनाम

- 1 विशालसिंह पुत्र महाराजसिंह, उम्र 73 वर्ष, निवासी  
ग्राम भोनपुरा तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०  
.....असल प्रतिअपीलार्थी
- 2 मोहकमसिंह पुत्र महाराजसिंह, उम्र 53 वर्ष।
- 3 वसंतसिंह पुत्र महाराज सिंह, उम्र 48 वर्ष।
- 4 गंभीरसिंह पुत्र शिवसिंह, उम्र 38 वर्ष। समस्त  
निवासी ग्राम भोनपुरा, तहसील गोहद, जिला  
भिण्ड म०प्र०
- 5 म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म०प्र०  
.....तरतीबी प्रतिअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री अशोक राणा अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 5 पूर्व से एक पक्षीय।

// निर्णय //  
(आज दिनांक 18-08-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा वर्तमान अपील अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

गोहद, पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 30ए/2015 ई0दी0 (विशाल सिंह वि0 मलिखान सिंह आदि) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया है। आगे के पदों में अपीलार्थीगण को प्रतिवादी एवं प्रतिअपीलार्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद इस प्रकार रहा है कि मौजा भोनपुरा स्थिति विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1683 रकबा 0.30 के 1/3 भाग का वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा 0.16 विश्वा प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 का एवं 0.10 विश्वा प्रतिवादी क्रमांक 5 के स्वामित्व का होना व्यक्त करते हुए उक्त सभी के द्वारा अपने अपने हिस्से के अनुसार घर बटवारा करना व्यक्त किया है, जिसमें वादी को पश्चिम दिशा की ओर एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 को मध्य भाग तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 को पूर्वी भाग में हिस्सा मिला है, जिस संबंध में उनके मध्य कोई विवाद नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेट स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसके पश्चात् भी प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादी के हिस्से की भूमि में उत्तर दिशा में 25 वाई 25 वर्गफीट की जगह में वलपूर्वक ईट, पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रहे हैं और मकान निर्माण करना चाहते हैं। दिनांक 23.05.12 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 उक्त स्थान पर ईट पत्थर डाल रहे थे जिससे वादी ने मना किया तो वह झगड़े पर आमादा हो गए जिस संबंध में वादी द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

03. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1683 का बंदोवस्त पूर्व का नम्बर 1084 रकबा 1 बीघा 18 विश्वा था जिसमें मृतक महाराज सिंह का हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के मृत पिता

वृन्दावन का हिस्सा 1/4 था। विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग के रिकार्डेट भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी है और वह अपने अपने हिस्से पर 07 वर्ष पहले से पक्का मकान बनाए गए है और उसमें परिवार सहित निवासरत है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित बताई गई भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। वादी की ओर से असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

04. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा प्रमाणित होना पाते हुए वादी के हक में डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

05. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. प्रत्यर्थी/वादी की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. अपील याचिका पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक राणा तथा प्रत्यर्थी/वादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री जी0एस0 निगम को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्र0 30ए/2015 ई0दी0 (विशाल सिंह वि0 मलिखान सिंह आदि) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

08. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

|     |   |
|-----|---|
| 01. | क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क० 30ए/2015 ई०दी० (विशाल सिंह वि० मलखान सिंह आदि) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है? |
| 02. | क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?   |
| 03. | क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?  |

### ।। सकारण निष्कर्ष ।।

09. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ए०के० राणा ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि वादी ने बटवारे के आधार पर रकवा प्राप्त होने के आधार लिए थे, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य न होने के बाद भी विचारण न्यायालय ने बटवारे को सिद्ध मानने में त्रुटि की है। साथ ही इन तर्कों पर भी बल दिया है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की ओर से प्र.डी. 1 व प्र.डी. 2 के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उनको अनदेखा कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है, जबकि दस्तावेजों में यह स्पष्ट आया है कि वादग्रस्त भूमि जिसका पुनः नम्बर 1084 है जिसमें वादी तथा प्रतिवादियों का हिस्सा 3/4 है तथा वृन्दावन सिंह का हिस्सा 1/4 है, किन्तु उसके पश्चात् भी आलौच्य निर्णय व जयपत्र पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

10. वादी का यह आधार रहा है एवं इस संबंध में वादी की ओर से साक्षी विशालसिंह वा०सा० 1 बसंतसिंह वा०सा० 2 के कथन भी रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 1683 रकवा 0.39 के 1/3 भाग अर्थात् 0.13 विश्वा के भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण का अपना अपना हिस्सा है। वादी के हिस्से के उत्तरी सीमा में विवाद है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 23.05.2012 को सुबह दस बजे करीब अपने ट्रैक्टर ट्राली से ईंट पत्थर डाल दिए, इस संबंध में वादी साक्षी बसंतसिंह वा०सा० 2 के भी कथन रहे हैं।

11. प्रतिवादीगण का आधार यह है एवं इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी मलखानसिंह

प्र०सा०1 एवं जयसिंह प्र०सा० 2 के कथन रहे हैं कि सर्वे क्रमांक 1683 में 1/4 भाग पर उनका हिस्सा है जिसमें पक्का मकान 6-7 वर्षों से बना हुआ है, जिसमें वह निवास कर रहे हैं तथा पत्थर और खण्डे आदि पड़े हैं। साथ ही साक्षी मलखानसिंह प्र०सा० 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि इस भूमि का विशालसिंह बगैरह और उनका आपस में कोई बटवारा नहीं हुआ है।

12. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी स्वयं का यह कहना रहा है कि सर्वे क्रमांक 1683 रकबा 0.39 के 1/3 भाग का वह भूमिस्वामी है, यहाँ तक कि वादी विशालसिंह का अपने मुख्य परीक्षण में ही किस प्रतिवादी का कितना हिस्सा है कथन रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ वादी स्वयं इस आशय के अभिकथन करता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का हिस्सा है प्रतिवादीगण स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का वादग्रस्त सर्वे में 1/4 हिस्सा है जिससे यह तथ्य स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 1683 के वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण भी स्वामी है, इस संबंध में प्र.डी. 1 व प्र.डी. 2 का दस्तावेज सुसंगत है जिसमें वादग्रस्त भूमि जिसका पुराना नम्बर 1084 है में महाराज सिंह पुत्र दुर्गासिंह का 3/4 हिस्सा, वृन्दावनसिंह एवं अन्य व्यक्तियों का 1/4 हिस्सा है। इस तथ्य को वादी विशालसिंह वा०सा० 1 ने अपने कथनों में स्वीकार किया है साथ ही यह स्वीकार किया है कि वृन्दावनसिंह उसका चाचा है और मलखानसिंह वृन्दावनसिंह का लडका है।

13. स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है। प्रकरण में प्र.डी. 1 व प्र.डी. 2 के दस्तावेज वादग्रस्त सर्वे के संयुक्त होने संबंधी उपधारणा विहित करते हैं इस तथ्य को उभयपक्ष ने स्वीकार भी किया है।

14. वादी का प्रमुख वाद आधार यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बटवारा बांट लिया था और उसके अनुसार वादग्रस्त सर्वे का 1/3 भाग अर्थात् 0.13 विश्वा भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जिस पर वह आधिपत्य में है। ऐसी स्थिति में वादी स्वयं यह कहकर आया है कि जिस स्थान पर वह कब्जे में है वह स्थान उसे बटवारे में प्राप्त हुआ था तब उस दशा में इस तथ्य को प्रमाणित करने का सिद्धिभार स्वयं वादी पर है।

15. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 एवं 102 सबूत के भार के संबंध में प्रावधान करती



है। सबूत के भार (burdan) तथा साबित करने का भार (onus) में एक आवश्यक भेद है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और यह कभी बदलता नहीं है, बल्कि साबित करने का भार स्थान बदलता रहता है।

16. सबूत के भार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत रंगम्मल विरुद्ध कुप्पूस्वामी एवं 1 अन्य 2011 (4) एस सी सी डी 2007 (एस.सी.) में किया गया निम्न संप्रेक्षण अवलोकनीय है:-

"Section 101 of the Indian Evidence Act, 1872 defines 'burden of proof' which clearly lays down that whosoever desires any Court to give judgement as to any legal right of law dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. Thus the Evidence Act has clearly laid down that the burden of proving fact always lies upon the person who asserts. Until such burden is discharged, the other party is not required to be called upon to prove his case. The Court has to examine as to whether the person upon whom burden lies has been able to discharge the burden. Until he arrives at such conclusion, he cannot proceed on basis of weakness of the other party."

17. सामान्य नियम के अधीन जिस पक्षकार पर सबूत भार होता है, सफल होने के लिए प्रथम दृष्टया मामले को साबित करना होगा, ऐसा नहीं कर सकने पर वह अपने विपक्षी के मामले की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता है, उसे अपने ही अधिकार को विश्वसनीय तरीके से सबूत में स्पष्टतः के आधार पर सफल होने के लिए साबित करना है। उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया जा सकता कि प्रश्नगत वाद को साबित किया जाना अत्यन्त ही कठिन या वस्तुतः असंभव था, सबूत का भार

उसी पक्षकार पर होता है, जहां वह वादी हो या प्रतिवादी जो मूल रूप से विवादकों का सकारात्मक प्राख्यान करता है। इस नियम को, जिसे की रोमन विधिक सूत्र "सबूत का भार प्रकथन करने वाले पर होता है, न कि प्रत्याख्यान करने वाले पर" से व्युत्पन्न है, अंशतः अपनाया गया है, क्योंकि यही न्यायोचित है कि जो पक्ष विधि की सहायता का अवलम्ब लेवे, सबसे पहले उसे ही अपना मामला साबित करना चाहिए और अंशतः इसीलिए जो कि वस्तुओं की प्रकृति होगी, सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक साबित किया जाना बहुत ही कठिन होता है। हस्तगत वाद में ऐसी ही स्थिति है कि सकारात्मक तथ्यों को ही साबित करना है, ऐसी व्यवस्था में जहाँ विपक्ष द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और साक्ष्य पेश करने वाला पक्षकार विधि द्वारा अपेक्षित साक्ष्य प्रबलता से अपनी स्थिति को साबित नहीं कर पाया है तो विनिश्चय उसके विरुद्ध होगा। इस संबंध में हम देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **शिवचरण बनाम चन्द्रभान ए०आई०आर० 1988 एस०सी० 637** में अभिनिर्धारित सिद्धांत पर निर्भर रह सकते हैं।

18. विधि सुस्थापित है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से किसी तथ्य के अस्तित्व के सत्य होने का आधार लेते हुए न्यायालय से यह याचना करता है कि उसे उस तथ्य के अस्तित्व को सत्य मानते हुए वांछित सहायता दी जावे तब उस व्यक्ति को उस तथ्य के सत्य को प्रमाणित भी करना होगा।

19. वादी की ओर से केवल प्र.पी. 3 के खसरा की नकल प्रस्तुत की गई है, किन्तु वादग्रस्त भूमि का बटवारा किस वर्ष में और किस समय हुआ और वादग्रस्त सर्वे में से किस हिस्से का 1/3 भाग वादी को प्राप्त हुआ इस आशय की कोई साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि इस संबंध में वादी विशालसिंह वा०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो स्वयं यह साक्षी कहता है कि बटवारा किस सम्बत् का है और कब हुआ वह नहीं बता सकता है, यहाँ तक कि वादी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मलखानसिंह और कैलाशसिंह और उसके बीच कभी कोई बटवारा नहीं हुआ। यदि इस संबंध में वादी साक्षी बसंतसिंह वा०सा० 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इसने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है कि उसके सामने विशालसिंह, मलखानसिंह, मोहकमसिंह एवं गंभीर

सिंह का कोई बटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वादी की ओर से इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जिस स्थान को वादी बटवारे में अपने कब्जे में आना बता रहा है वह स्थान वादी को बटवारा में प्राप्त हुआ था।

20. यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय ने वादी को वादी के हिस्से के 1/3 भाग पर आधिपत्यधारी मानते हुए निर्माण न करने संबंधी निषेधाज्ञा जारी की है, किन्तु सर्वे क्रमांक 1683 का वह कौन सा 1/3 भाग है जिस पर वादी आधिपत्य में है, उसकी चतुरसीमा क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, न ही भूमि की सीमाओं के संबंध में कोई साक्ष्य आया है। ऐसी स्थिति में जहाँ कि स्वीकृत रूप से तथा राजस्व दस्तावेजों में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण भी सहस्वामी व आधिपत्यधारी प्रमाणित होते हैं, वहाँ किसी एक के पक्ष में स्पष्ट सीमाओं के आधिपत्य प्रमाणित हुए बिना दूसरे सह स्वामी को निषेधित किया जाना न तो न्यायोचित है और न ही न्याय की मंशा है।

21. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में वादी को वादग्रस्त सर्वे के 1/3 भाग का आधिपत्यधारी होना प्रमाणित पाया है, किन्तु जबतक सह स्वामियों की सीमाएं निश्चित न हो जावे उन्हें भूमि के उपयोग व उपभोग से बंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में वादी यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि वादी का जिस भाग पर आधिपत्य है वह भाग उसे बटवारा में प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में बगैर बटवारा प्रमाणित हुए वादी किसी अविभाजित भूमि के विशिष्ट भाग पर स्वत्व का दावा नहीं कर सकता है।

22. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के वाद को स्वीकार कर जयपत्रित करने का जो निर्णय दिया है वह न तो साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर ही आधारित है और न ही विधि के मान्य सिद्धांतों पर ही आधारित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय एवं जयपत्र अपीलाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है।

23. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय व जयपत्र अपास्त किया जाता है तथा वादी का वाद निरस्त किया जाता



है।

24. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

25. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा या सूची अनुसार जो भी कम हो आज़ाप्ति में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज़ाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)